



July 1, 2024

To,  
The General Manager,  
Deptt of Corporate Services,  
**BSE Limited,**  
P.J. Tower, Dalal Street,  
Mumbai – 400001

To,  
The Vice President,  
**National Stock Exchange of India Limited,**  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai – 400051

**Equity Scrip code: 543249**  
**Debt Scrip Code: 973928**

**Scrip Symbol: TARC**

**Subject: Newspaper Publication**

Dear Sir / Madam,

In compliance with Regulation 30 and 51 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith copies of Newspaper advertisement as published today in Hindi and English edition of Business Standard.

You are requested to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
**For TARC Limited**

**Amit Narayan**  
**Company Secretary**  
**A20094**

**Encl.: As above**



## टीएआरसी लिमिटेड

(CIN: L70100DL2016PLC390526)

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सी-3, कुतुब इन्स्ट्रूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016दूरभाष: 011-41244300, ई-मेल: [tarc@tarc.in](mailto:tarc@tarc.in), वेबसाइट: [www.tarc.in](http://www.tarc.in)विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो विजुवल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा आयोजित होने वाली  
असाधारण सामान्य बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

कम्पनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों, सेबी (लिसिंग दायत्वो एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 ("लिसिंग विनियमन") साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांक मई 05, 2022 एवं परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक दिसम्बर 28, 2022 एवं परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक सितम्बर 25, 2023 ("एमसीए परिपत्र") साथ में पठित सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांक जुलाई 11, 2023 एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक अक्टूबर 07, 2023, ("सेबी परिपत्र") एवं अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि टीएआरसी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम") सोमवार, जुलाई 22, 2024 को प्रातः 11:00 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों जिनके नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा बनाये गये लामदाईं स्वामी की पंजिका में अंकित थे और जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज भागीदारों/रजिस्ट्रार के पास शुक्रवार, जून 21, 2024 को पंजीकृत थे, को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेज दी गई है। कम्पनी ने उनको भेजने का कार्य जून 29, 2024 को पूरा कर लिया है। ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.tarc.in](http://www.tarc.in) एवं दोनों स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट i.e बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) एवं नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है। ईजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ केवल उन सदस्यों को भेजी जायेगी जिन्होंने स्पष्ट रूप से भौतिक प्रतियों के लिए अनुरोध किया है।

सदस्य ईजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं [जो कि कम्पनी द्वारा एनएसडीएल से उपलब्ध कराया जा रहा है], जिसका विवरण कम्पनी द्वारा ईजीएम की सूचना में दिया जा रहा है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम के उद्देश्य के लिए की जायेगी।

कम्पनी अपने सदस्यों को ईजीएम में व्यवसायों के निष्पादन किये जाने के सम्बन्ध में एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। कट-ऑफ तिथि i.e. सोमवार, जुलाई 15, 2024 को भौतिक अथवा डिमैटरलाइज माध्यम में शेर धारित सदस्य ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं। वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की चुकता इक्वीटी शेर कंपनी में उनके द्वारा धारित इक्वीटी शेर के अनुपात में होगा।

एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा बनाये गये लामदाईं स्वामी की पंजिका में अंकित होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ईजीएम में वोटिंग के हकदार होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य नहीं है, इस सूचना को जानकारी के उद्देश्य के लिए लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, जिसने कम्पनी के शेरस अधिग्रहित किये हैं और ईजीएम की सूचना को भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो एवं कट-ऑफ तिथि को शेर धारण करता हो, ईजीएम में शामिल होने एवं वोट देने के लिए यूजर आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त कर सकता है जिसके तुरन्त का विवरण ईजीएम की सूचना में दिया गया है।

ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों का निष्पादन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम i.e. रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम में ई-वोटिंग द्वारा किया जायेगा। सदस्य केवल वोटिंग के लिए केवल एक माध्यम i.e. रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम में ई-वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। ईजीएम में उपस्थित रहने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, ईजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट देने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा बैठक से पहले अपना वोट दे दिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से ईजीएम में वोट देने के हकदार नहीं होंगे। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट दे देता है, तो उसे बाद में फिर से इसे बदलने अथवा दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्न अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारम्भ : शुक्रवार, जुलाई 19, 2024 प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी)

रिमोट ई-वोटिंग का समापन : रविवार, जुलाई 21, 2024 सायं 5:00 बजे (आईएसटी)

उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

निदेशक मंडल ने पी० के० मिश्रा एण्ड एसोसियेट्स, कम्पनी सचिवों के श्री पवन कुमार मिश्रा (एफसीएस -4305, सी०पी० न० 16222) को ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जाँच के लिए जॉचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग एवं ईजीएम में भाग लेने के लिए ईजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। किसी भी पृष्ठ/कठिनाईयों के लिए सदस्य 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी महात्र, वरिष्ठ प्रबन्धक, एनएसडीएल को [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर आग्रह कर सकते हैं अथवा कम्पनी के कम्पनी सचिव को [cs@tarc.in](mailto:cs@tarc.in) पर लिख सकते हैं।

जिन शेरधारकों ने अभी तक अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनसे निम्न प्रकार अपने ई-मेल आईडी पंजीकरण का अनुरोध है:

1. भौतिक रूप में शेर धारित सदस्य लिखित में कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेर हस्तांतरण एजेंट viz., स्काईलाइन फाईनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड को [admin@skylineta.com](mailto:admin@skylineta.com) अथवा कम्पनी को [cs@tarc.in](mailto:cs@tarc.in) को लिखित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र में वर्णित सदस्य के नाम एवं पते, शेर प्रमाण पत्र की स्कैन प्रतिलिपि (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व-अभिप्रेमाणित प्रतिलिपि एवं सदस्य के पते के प्रमाण में स्व-अभिप्रेमाणित प्रतिलिपि (eg.: ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) प्रस्तुत करें।
2. डिमैटरलाइज माध्यम में शेर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल आईडी प्रस्तांगिक डिपॉजिटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत करा लें।

कृते टीएआरसी लिमिटेड

हस्ता०/—

अमित नारायण

कम्पनी सचिव

(एसीएस 20094)

तिथि : जून 29, 2024

स्थान : नई दिल्ली



**TARC LIMITED**

(CIN: L70100DL2016PLC390526)

Registered office: 2<sup>nd</sup> Floor, C-3, Qutab Institutional Area,  
Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Tel: 011-41244300, Email: [tarc@tarc.in](mailto:tarc@tarc.in), Website: [www.tarc.in](http://www.tarc.in)



**NOTICE FOR HOLDING EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) AND INFORMATION ON E-VOTING**

**NOTICE** is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of TARC Limited ("the Company") will be held on Monday, July 22, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the other rules made thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, ("SEBI Circulars") and all other applicable laws to transact the special businesses as set-out in the Notice of EGM.

In compliance with the above circulars, notice of EGM has been sent only through electronic mode to all those members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories and whose e-mail address are registered with the Company / Depository Participant(s) / Registrar as on Friday, June 21, 2024. The Company has completed their dispatch on June 29, 2024. Notice of EGM is also available on the website of the Company at [www.tarc.in](http://www.tarc.in) and on the website of both the stock exchanges i.e BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.voting.nsdl.com](http://www.voting.nsdl.com). The physical copies of notice of EGM shall be dispatched only to those members who explicitly requested for the physical copies.

Members can attend and participate in the EGM through the VC / OAVM facility only [which is being availed by the Company from NSDL], the details of which are provided by the Company in the notice of EGM. Members attending EGM through VC / OVAM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Company is pleased to provide e-voting facilities through NSDL to its members, in respect of the businesses to be transacted at the EGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on cut-off date i.e. Monday, July 15, 2024 may cast their vote electronically on the resolutions set out in the EGM Notice. The voting rights shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the EGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of notice of EGM and holds shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password for joining the EGM and casting vote in the manner as detailed in the notice of EGM.

The Special Businesses as set out in the notice of EGM shall be transacted through voting by electronic means only i.e. by remote e-voting or e-voting at the EGM. The members can opt for only one mode of voting i.e. remote e-voting or e-voting at the EGM. Members attending the EGM who have not casted their vote by remote e-voting, shall be entitled to vote at EGM through e-voting system. Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the EGM. Once the vote on a resolution is casted by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting	: 9.00 A.M. (IST) on Friday, July 19, 2024
End of remote e-voting	: 5.00 P.M. (IST) on Sunday, July 21, 2024

The remote e-voting shall not be allowed beyond aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period.

The Board of Directors has appointed Mr. Pawan Kumar Mishra (FCS -4305, C.P. No. 16222) of P. K. Mishra & Associates, Company Secretaries as scrutinizer to scrutinize the e-voting during the EGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read carefully the instruction given in the notice of EGM for e-voting and attending the EGM. In case of any queries / difficulties, members may call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or write to the Company Secretary of the Company at [cs@tarc.in](mailto:cs@tarc.in).

Shareholders who have still not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered, as follows:

- Shareholders holding Shares in physical mode by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz., Skyline Financial Services Private Limited at [admin@skylinerta.com](mailto:admin@skylinerta.com) or the Company at [cs@tarc.in](mailto:cs@tarc.in) along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the member, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of any address proof document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member.
- Shareholders holding Shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s).

For TARC Limited  
Sd/-

**Amit Narayan**  
Company Secretary  
(ACS 20094)

Date : June 29, 2024  
Place : New Delhi